Ministry of Panchayati Raj

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work

Summary on Major achievements, significant developments and important events of MoPR for the month of May, 2020

1. Secretary, Panchayati Raj chaired a Video Conference (VC) with the States on 27th May, 2020 regarding the role of Panchayats in COVID-19 control and reconstruction and relief work for Amphan cyclone affected States, which was attended by 25 States. The feedback demonstrated that Panchayats and local bodies in many States have taken effective steps for prevention and control of COVID-19 disease. During the VC, it was emphasized to create and maintain GP-wise database on skill mapping of workforce and to plan for their gainful employment. Behavioral changes such as community alertness, maintaining social distancing, and no-spitting in public places were also stressed.

2. States have been advised to take up necessary actions towards mitigating COVID-19 Pandemic in the Rural Areas, with utilization of Finance Commission grants for various permitted activities like sanitation, Personal protective equipments, quarantine shelters etc.

3. Considering the fact that mass awareness is one of the best, effective and potential weapons to intensify our collective fight against COVID-19, the Ministry has consistently been encouraging the Panchayati Raj Institutions across the country, directly through NIC SMS Service / Social Media as well as through State/UT Department of Panchayati Raj in the form of advisories/ letters etc. and urging them to enhance their efforts in serving their Panchayats and villagers during the Corona crisis.

4. In our persistent endeavour to reach out to the Panchayats, two SMSs were sent to all Gram Panchayats on 16/5/2020 and 20/5/2020 on preventing and addressing social stigma and discrimination, and honouring and cooperating all the Corona Warriors, and downloading Aarogya Setu mobile app etc. These SMSs were sent to more than 2,25,000 Sarpanches and Gram Panchayat Functionaries to generate awareness as well as disseminate the relevant information. An SMS was sent to all Gram Panchayats under Hindi-speaking States on 30/5/2020 to publicize the Audio–Visual messages on "*बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार*" अभियान. In this context, Hon'ble Prime Minister's appeal, video-messages of the legendary actor Shri Amitabh Bachchan and Cricket maestro Shri Sachin Tendulkar have been uploaded on YouTube Channel/ Page of the Ministry, and the link has been shared with Gram Panchayats for its wider outreach.

5. Ministry of Panchayati Raj has initiated timely action in response to directions of the PMO regarding documentation of India's collective response to COVID-19. In this regard, this Ministry has written to States /UTs (Departments of Panchayati Raj) to provide details about the activities undertaken so far, which needs to be documented at the National level for preparation of a National Directory. This will be a very important compilation for drawing lessons learnt, identifying innovations and good practices, and providing the basis for future research into the management of pandemic.

6. Case studies on different Covid related issues and on different interventions that Gram Panchayats have carried out in containing the spread of COVID-19 at village level, have been documented for being shared with Press Information Bureau (PIB) for wider propagation among different media for States/UTs to emulate the best practices. In addition, following directives were sent to all States/UTs for:

- Providing information on status of Corona cases in all Gram Panchayats.
- Strengthening community preparedness to ensure effective system in place in the interior rural areas along with a Community Preparedness Checklist that Gram Panchayats (GPs) need to fill on a fortnightly basis to upload on GPDP Portal (https://gpdp.nic.in)

7. The concurrence of Ministry of Finance has been obtained to utilize the unspent Fourteenth Finance Commission (FFC) Grants available with the Gram Panchayats and the ensuing Fifteenth Finance Commission (XV FC) Grants towards utilization of migrant labourers who are returning due to lockdown situations in the creation/upkeep of infrastructure at GP level like GP Bhawans, Anganwadi Centres, Primary Health Centres, Community Halls etc. during F.Y. 2020-21.

8. In the second meeting of the Central Empowered Committee (CEC) of the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) held on 19th May, 2020 through Video Conference. Annual Action Plans (AAPs) of 17 States/UTs namely Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Assam, Goa, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Telangana and Tripura for the year 2020-21 to the tune of Rs.1402.41 crore were approved.

9. In addition, the CEC also approved the proposals of NIRDPR, Hyderabad for: (i) implementation of Phase 2 of Strengthening PRIs by continuous training and e-Enablement (TISPRI) with the project cost of Rs.19.75 crores for 2 years i.e. 2020-21 and 2021-22 (ii) Extension of project 'Capacity Building and Handholding in `Other than the Part IX areas of North East India' for effective Village Development Plan Preparation' till 2020-21, (3) Extension of Project 'Capacity Building & Training and Handholding support to Panchayati Raj Institutions (PRIs) in UTs for Effective Formulation of GPDP' till 2020-21.

10. Funds to the tune of Rs.50.43 Crore were released to the states of Tamil Nadu and West Bengal under RGSA.

11. Follow up actions towards obtaining information of proportionate allocations of XV FC Grants to the tiers of Panchayats/ traditional bodies as required in the interim report recommendations of XV FC has been made with the States. The requirement of submission of

Utilisation Certificates (UCs) for the latest FFC releases has also been followed up with the States.

12. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing the States for closure of account on PRIASoft as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS.

(i) For the year 2018-19, around 87% of Gram Panchayats have closed their year books.
(ii) For the year 2019-20, 90% of the GPs have closed their month books and 60% of the Gram Panchayats have closed their year books.

13. Furthermore, 1,46,145 Gram Panchayats have on-boarded PRIASoft-PFMS interface; out of which 1,03,903 GPs have carried out online payments through the Online Payment Module (erstwhile PRIASoft-PFMS Interface (PPI)) for the expenditure incurred under 14th Finance Commission.

14. eGramSwaraj, a Simplified Work Based Accounting Application for Panchayati Raj, was launched on the occasion of National Panchayati Raj Day on April 24, 2020. In this regard, 5 online training sessions were organized by the Ministry in the month of May 2020 for around 19 States. These VC training sessions were held to make the States get acquainted with the application workflow of the eGramSwaraj.

15. SVAMITVA Scheme was also launched on 24th April 2020 with the aim of demarcation of inhabited (Abadi) land in rural areas by drone survey method. This would provide the 'record of rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of property cards to the property owners. Several Video conferences (VCs) were held with States to discuss on technical integration of survey data, attributes, appraisal format, challenges in implementation of scheme, finalizing the Key Performance Indicators (KPIs) and dashboard design. Readiness to start the survey activities (starting with UP and Uttarakhand State) and training plan of Survey team was also discussed.

16. Further strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. In this regard, several online training and hand-holding sessions have been provided to the States. Training has been provided to 11 States (Assam, Gujarat, Haryana, HP, Jharkhand, MP, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tripura & Uttarakhand). As a pilot, AuditOnline shall be utilized for the purpose of auditing Panchayat accounts for 14th Finance Commission for the FY 2019-20. States have been asked to commence registration of auditors and preparation of audit plans.

17. A compendium of RuTag technologies developed by the IITs has been forwarded to the States for suitable adoption at the State levels.

*****

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय संविधान के 73वें संशोधन के संबंध में पक्षसमर्थन, निगरानी और इसके कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके और उनका क्षमता निर्माण करके प्रशासनिक आधारभूत संरचना, बुनियादी सेवाओं आदि को सुदृढ़ करना शामिल है। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के रोडमैप के निम्न तीन स्तंभ है:

- वित्त आयोग वित्तपोषण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और परामर्शी कार्यों द्वारा समावेशी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरित और समग्र आयोजना

पंचायती राज मंत्रालय की मई, 2020 की प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण आयोजनों का संक्षिप्त विवरण

1. कोविड-19 की रोकथाम में पंचायतों की भूमिका और अम्फन चक्रवात प्रभावित राज्यों के लिए पुनर्निर्माण और राहत कार्य के संबंध में दिनांक 27 मई, 2020 को राज्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की जिसमें 25 राज्यों ने भाग लिया। फीडबैक/प्रतिपुष्टि में दिखाया गया है कि कई राज्यों में पंचायतों और स्थानीय निकायों ने कोविड-19 रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। वीसी के दौरान, कार्यबल के कौशल मानचित्रण पर ग्राम पंचायत-वार डेटाबेस बनाने और बनाए रखने और उनके लाभकारी रोजगार की योजना बनाने पर जोर दिया गया था। व्यवहार परिवर्तन जैसे सामुदायिक सतर्कता, सामाजिक दूरी बनाए रखना, और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने पर जोर दिया गया।

2. राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी को कम करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है जिसमें स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एकांतवास/क्वारेंटाइन आदि जैसे विभिन्न अनुमत गतिविधियों के लिए वित्त आयोग अनुदान का उपयोग किया जाना है।

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जन जागरूकता कोविड-19 के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को तेज करने के लिए सबसे अच्छे, प्रभावी और संभावित हथियारों में से एक है। मंत्रालय लगातार देश भर के पंचायती राज संस्थानों को सीधे एनआईसी एसएमएस सेवा / सोशल मीडिया, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र पंचायती राज विभाग के माध्यम से परामर्शिकाओं / पत्रों आदि के द्वारा प्रोत्साहित कर रहा है और कोरोना संकट के दौरान अपनी पंचायतों और ग्रामीणों की सेवा में अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए उनसे आग्रह कर रहा है।

4. पंचायतों तक पहुँचने के हमारे निरंतर प्रयास में, सभी ग्राम पंचायतों को दिनांक 16/5/2020 और 20/5/2020 को सामाजिक कलंक और भेदभाव को रोकने और सभी कोरोना वारियर्स को सम्मानित करने, सहयोग करने और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आदि डाउनलोड करने के लिए दो एसएमएस भेजे गए। ये एसएमएस 2,25,000 से अधिक सरपंचों और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को भेजे गए ताकि वे जागरूकता पैदा कर सकें और साथ ही संबंधित जानकारी का प्रसार कर सकें। दिनांक 30/5/2020 को हिंदी-भाषी राज्यों के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को एक एसएमएस भेजा गया था जिसमें **"बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार"** अभियान के ऑडियो-विजुअल संदेशों को प्रचारित किया जाए। इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री की अपील पर महान अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन और क्रिकेट के खिलाड़ी श्री सचिन तेंदुलकर के वीडियो-संदेश मंत्रालय के यूट्यूब चैनल / पेज पर अपलोड किए गए हैं, और इसके लिए व्यापक आउटरीच लिंक ग्राम पंचायतों के साथ साझा किया गया है।

5. पंचायती राज मंत्रालय ने कोविड-19 को भारत की सामूहिक प्रतिक्रिया के प्रलेखन के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के जवाब में समय पर कार्रवाई शुरू की है। इस संबंध में इस मंत्रालय ने राज्यों / संघ शासित प्रदेशों (पंचायती राज के विभागों) को अब तक की गई गतिविधियों के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए लिखा है, जिन्हें राष्ट्रीय निर्देशिका तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रलेखित करने की आवश्यकता है। यह सबक सीखने, नवाचारों और अच्छी प्रथाओं की पहचान करने और महामारी के प्रबंधन में भविष्य के अनुसंधान के लिए आधार प्रदान करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन होगा।

6. ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम स्तर पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोविड से संबंधित विभिन्न मुद्दों और हस्तक्षेपों पर किए गए मामलों संबंधी अध्ययनों को राज्यों के लिए सर्वोत्तम पद्धति को अपनाने हेतु विभिन्न मीडिया के बीच व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के साथ साझा किए जाने के लिए प्रलेखित किया गया है। इसके अलावा, सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को अनुकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश भेजे गए थे:

- सभी ग्राम पंचायतों में कारोना मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- सामुदायिक तैयारी के साथ-साथ आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक तैयारी को मजबूत करना कि ग्राम पंचायतों को जीपीडीपी पोर्टल (https://gpdp.nic.in) पर चैकलिस्ट एक पखवाड़े के आधार पर भरने की आवश्यकता है।

7. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों और आगामी पंद्रहवें वित्त आयोग के उपलब्ध अनुदानों का उपयोग करने के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त हुई है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे जैसे ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल आदि के निर्माण / रखरखाव और लॉकडाउन स्थितियों के कारण लौट रहे प्रवासी मजदूरों के उपयोग के लिए है।

8. दिनांक 19 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की दूसरी बैठक हुई। वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार के लिए 17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान तेलंगाना और त्रिपुरा के लिए 1402.41 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे।

9. इसके अतिरिक्त, सीईसी ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के प्रस्तावों (i) 2 वर्ष अर्थात 2020-21 और 2021-22 के लिए 19.75 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से सतत प्रशिक्षण और ई-समर्थता (TISPRI) के सुदृढ़ीकरण के चरण 2 के कार्यान्वयन (ii) वर्ष 2020-21 तक प्रभावी ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए 'पूर्वोत्तर भारत के भाग IX क्षेत्रों के अलावा अन्य' में 'क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग' परियोजना का विस्तार (3) वर्ष 2020-21 तक जीपीडीपी के प्रभावी निरूपण के लिए संघ शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थानों को 'क्षमता निर्माण' एवं प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग परियोजना के विस्तार हेतु मंजूरी दे दी गयी थी।

10. आरजीएसए के तहत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को 50.43 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई।

11. 15वें वित्त आयोग अनुदान के आनुपातिक आवंटन की जानकारी प्राप्त करने की दिशा में अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पंचायतों / पारंपरिक निकायों के स्तरों के लिए अंतरिम रिपोर्ट में आवश्यक होने के कारण 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को अनुशंसा की गई है। नवीनतम एफएफसी जारीकरन के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी राज्यों के साथ पालना की गई है।

12. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों के साथ कड़े प्रयास कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए राज्यों के साथ प्रयास कर रहा है।

(i) वर्ष 2018-19 के लिए लगभग 87% ग्राम पंचायतों ने अपनी ईयर बुक बंद कर दी हैं।
(ii) वर्ष 2019-20 के लिए 90% ग्राम पंचायतों ने अपनी मासिक पुस्तकें बंद कर दी हैं और 60% ग्राम पंचायतों ने अपनी ईयर बुक बंद कर दी हैं।

13. इसके अलावा, 1,46,145 ग्राम पंचायतें प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस पर आ गयी है; जिसमें से 1,03,903 ग्राम पंचायतों ने 14वें वित्त आयोग के तहत किए गए व्यय के लिए ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल (पूर्ववर्ती प्रियासॉफ्ट- पीएफएमएस इंटरफ़ेस (पीपीआई)) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है।

14. ई-ग्रामस्वराज, पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग, 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा मई 2020 के महीने में लगभग 19 राज्यों के लिए 5 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए थे। ये वीसी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए

गए ताकि राज्यों को ई-ग्रामस्वराज के एप्लिकेशन वर्कफ़्लो से परिचित कराया जा सके।

15. ड्रोन सर्वेक्षण विधि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद (आबादी) भूमि के सीमांकन के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व स्कीम भी शुरू की गई थी। इससे गाँवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान रखने वाले मालिकों को अधिकारों का रेकार्ड प्रदान किया जाएगा और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने का 'अधिकार' उपलब्ध होगा। सर्वेक्षण डेटा, विशेषताओं, मूल्यांकन प्रारूप, स्कीम के कार्यान्वयन में चुनौतियों, प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) और डैशबोर्ड डिज़ाइन को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी एकीकरण पर चर्चा करने के लिए राज्यों के साथ कई वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) की गई थी। सर्वेक्षण गतिविधियों (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के साथ शुरू करके) तैयारी और सर्वेक्षण टीम की प्रशिक्षण योजना पर भी चर्चा की गई।

16. मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने हेतु ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत एक अनुप्रयोग- ऑडिटऑनलाइन जारी किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन लेखा परीक्षा करता है और आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षा के बारे में विस्तृत ब्यौरा दर्ज करता है। इस संबंध में, राज्यों के साथ कई ऑनलाइन प्रशिक्षण और हैंड-होल्डिंग सत्र किए गए हैं। 11 राज्यों (असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 14वें वित्त आयोग हेतु पंचायत खातों की लेखा परीक्षा के लिए पायलट के रूप में ऑडिटऑनलाइन का उपयोग किया जाएगा। राज्यों को लेखा परीक्षकों का पंजीकरण शुरू करने और ऑडिट प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है।

17. आईआईटी द्वारा विकसित रुटैग प्रौद्योगिकियों का एक संकलन राज्यों को राज्य स्तर पर उपयुक्त रूप से अपनाने के लिए भेजा गया है।

*****